प्रेषक,

वित्त नियंत्रक, (उ0शि0) उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री बजट अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ।

पत्रांक : डिग्री बजट / 4789 / 2018–19, दिनांक : 09.01.2019

विषय : प्रदेश स्थित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में दिनांक 01.01.2016 एवं उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिये जाने के आधार पर देय अवशेष के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य हित लाभ दिये जाने के आधार पर देय अवशेष की मांग की गयी है। आप द्वारा की गयी मांग के आधार पर सातवें वेतनमान के अवशेष के भुगतान हेतु संलग्न एलाटमेन्ट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार बजट आवंटन किया जाता है। कृपया भुगतान की कार्यवाही निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाय :–

1. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में दिनांक 01.01.2016 एवं उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिये जाने के आधार पर देय अवशेषों (दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक) के एरियर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
2. इस अनुदान का उपयोग उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु यह स्वीकृत की जा रही है। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मदों में व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। स्वीकृत मद के इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।
3. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित शिक्षकों के अवशेष एरियर की वास्तविक गणना करते हुये भुगतान किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय कि अवशेष वेतन की वास्तविक देयता का सम्यक परीक्षण कर पुष्टि करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान करेंगे।
5. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी शिक्षक के एरियर के धनराशि के भुगतान की पुनरावृत्ति न हो। यदि इस प्रकार के एरियर भुगतान की कोई भी पुनरावृत्ति होती है तो सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।